न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 126/2023

अन्तर्गत धारा 48, 52, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....वादी

–:: बनाम –::

1. गुरमीत सिंह पुत्र श्री सरदुल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. गुरलाभ सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा — वादी
अधिवक्ता सुश्री पुनम वर्मा — प्रतिवादी 1 व 2
पैरोकार राज — (प्रति.–3)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 21.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के पास चक 19 एम एल (बख्तांवाली) खाता संख्या–43/16,मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर–1 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–2 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–3 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–4 में 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर–5 में 0.253 हैक्टेयर कुल 1.265 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा है। प्रतिवादीगण के नाम चक 18 एम एल (बख्तांवाली) खाता संख्या–64/25 में खसरा संख्या– 000000000490000400 में 0.228 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 000000000490000501 में 0.215 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 000000000490000602 में 0.24 है., खसरा संख्या– 000000490000700 0.253 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 000000000490001400 में 0.253 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 000000000490001501 में 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 000000000490001602 में 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या–000000000490001700 में 0.253 हैक्टेयर, खसरा संख्या– 000000000490002400 में 0.253 हैक्टेयर, खसरा संख्या – 000000000490002501 में 0.24 हैक्टेयर रकबा दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा हाजा है जिसमें गुरमीत सिंह का रकबा 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी शामिल दावा है। जो रकबा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो चक 19 एम एल खसरा नम्बर – 53 / 16 मुरब्बा नम्बर – 25 किला नम्बर–1 ता 5 रकबा का कब्जा प्रतिवादी संख्या–1 के पास चला आ रहा है तथा जो रकबा प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्सा में है उसका कब्जा वादी के पास चला आ रहा है अब भी मौके पर कब्जा वादी व प्रतिवादी के पास है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा जो वादी के नाम है वो रकबा प्रतिवादी संख्या–1 के पास है उसका जमाबन्दी में वादी के नाम है तथा जो रकबा प्रतिवादी संख्या–1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया हुआ है उस जमीन का कब्जा वादी के पास है। अब भी मौका पर कब्जा वादी के पास है तथा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अब भी वादी द्वारा फसल काश्त की हुई है तथा वादी की जमीन पर प्रतिवादी ने काश्त कर रखी है यह आपसी में दोनो की सहमति तथा अपनी सुविधा अनुसार पूर्व में की हुई है मगर राजस्व रिकार्ड में रकबा प्रतिवादी संख्या–1 का रकबा वादी के नाम नहीं है तथा वादी का रकबा प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम नहीं है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या–1 काफी समय से जमीन की अदला बदली कर रखी है तथा जमीन की कीमत में भी कोई खास अन्तर नहीं है इसलिए तबादला मन्जुर किये जाने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि दोनो पक्षों द्वारा अपनी अपनी जमीन का सुधार किया है तथा जमीन को समतल बनाया है इसलिए अपनी अपनी जमीन पर दोनो का स्नेह हो गया है इसलिए दोनो का आपसी में निर्णय करके दोनो की जमीन अलग–अलग नाम दर्ज किऐ जाने से कोई कठिनाई नहीं है। वादी के जो रकबा कब्जा में है उस पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है तथा जो प्रतिवादी के नाम रकबा है उसमें भी किसी प्रकार का लोन नहीं है तथा दोनो जमीन की कीमत भी लगभग समान है इसलिए दोनो का तबादला करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा केवल राजस्व रिकार्ड परिवर्तन किया जाना है । वादी व प्रतिवादी का बहुत पुराना जमीन का आपसी में कब्जा चला आ रहा है कब्जा के आधार पर भी जो रकबा वादी के पास है वह अपने नाम करवाने तथा घोषणा करवाने का अधिकारी है इसलिए धारा 88 के तहत अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है। वादी ने प्रतिवादी को कई बार मौखिक रूप से कहा कि कब्जा के आधार पर तबादला करवा लें मगर प्रतिवादी संख्या– 1 यही कहता रहा कि करवा लूंगा लेकिन आज तक उसने कब्जा के आधार पर तबादला नहीं किया जिससे लगान तथा आबियाना तथा पानी की बारी में परेशानी होती है तथा रकबा राजस्व रिकार्ड में ना होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो किसानों के हित में योजना बनायी गयी है उसका लाभ वादी व प्रतिवादी को नहीं मिल सकता इसलिए वादी ने दो रोज पहले गांव में पंचायत की मगर प्रतिवादी संख्या–1 ने तबादला करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए वादी को अब वाद प्रस्तुत करने के अलावा ओर कोई चारा नहीं रहा है यही बिनाए दावा है। विवादग्रस्त भूमि चक 18 एम एल बख्तांवाली की है जिसका लैण्ड होल्डर तहसीलदार है जिसे पक्षकार बनाया गया है। जमीन तहसील श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में है इसलिए सुनवाई का अधिकार जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है। यह कि दावा अन्दर मियाद है। दावा 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है। लिहाजा दावा अन्तर्गत धारा 48,52,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश करके अर्ज है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) यह कि इस अमर की डिक्री जारी की जावे कि वादी के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 19 एम एल खाता संख्या–43/16 मुरब्बा नम्बर –25 का किला नम्बर– 1 ता 5 में 5 बीघा रकबा जो वादी के नाम दर्ज है वह प्रतिवादी के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन किया जावे।

(ख) यह कि इस अमर की डिक्री जारी की जावे कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 18 एम एल खाता संख्या–64/25 में गुरमीत सिंह पुत्र सरदुल सिंह का 1/2 हिस्सा में कुल रकबा में से 1/2 हिस्सा 2.4150. हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी के नाम दर्ज है उसको कलमबद्ध करके वादी के नाम जमाबन्दी में अंकन किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि वादी व प्रतिवादीगण आपसी में रिश्तेदार है तथा पंचायत ने आपसी में दोनो पक्षकारान के बीच में राजीनामा करवा दिया है इसलिए राजीनामा के अनुसार वादी के नाम चक 19 एम एल खाता संख्या– 43/16 मुरब्बा नम्बर–25 किला नम्बर–1,2,3,4,5 प्रत्येक सालम कुल 5–00 बीघा रकबा जो राजस्व रिकार्ड में

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरलाभ सिंह का रकबा चक 19 एम एल खाता संख्या—43/16 मुरब्बा नम्बर-- 25 किला नम्बर— 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक सालम कुल 5—00 बीघा रकबा वादी गुरलाभ सिंह का नाम कलमजद करके प्रतिवादी संख्या 1 गुरमीत सिंह पुत्र सरदुल सिंह के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण का रकबा चक 18 एम एल खाता संख्या—64/24 में मुरब्बा नम्बर—49 में कुल 2.4150 हैक्टेयर रकबा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 गुरमीत सिंह के नाम दर्ज जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 गुरमीत सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कलमबन्द करके वादी भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 19 एम एल बख्तांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज किये जाने का अदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य अन्तरित होने वाली भूमि के कम ज्यादा के अन्तर वाली भूमि की गणना कर उस भूमि का बेचान की दशा में लगने वाले स्टाम्प शुल्क के बाराबर स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)